

## मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रपरिषद के महत्त्वपूर्ण नरिणय

### चर्चा में क्यों?

- 26 सतिंबर, 2023 को मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान की अध्यक्षता में आयोजति मंत्रपरिषद की बैठक में 'मुख्यमंत्री संबल खलिाड़ी प्रोत्साहन योजना' एवं 'कायाकल्प द्वततीय चरण योजना' की तीन वर्षों के लयि स्वीकृति के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण नरिणय लयि गए ।

### प्रमुख बदि

- मंत्रपरिषद ने स्वीकृति दी है कि मध्य प्रदेश के वरषिठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतमिाह दी जाने वाली सम्मान नधि 10 हज़ार रुपए से बढाकर 20 हज़ार रुपए की जाएगी ।
  - सम्मान नधि प्रापुत करने वाले पत्रकार की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी/पति को एकमुशत 8 लाख रुपए की सहायता राशति दी जाएगी ।
  - पत्रकारों को स्वयं अथवा आशरतिों के उपचार के लयि सामान्य बीमारयिों के लयि आर्थकि सहायता प्रावधान 20 हज़ार से बढाकर 40 हज़ार रुपए और गंभीर बीमारयिों के लयि 50 हज़ार से बढाकर 1 लाख रुपए कयि जाएगा । आयकर वाली शरत को भी हटाया गया है ।
  - उल्लेखनीय है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करने वाले प्रटि मीडिया, इलेक्ट्रॉनकि मीडिया एवं सोशल, डिजिटल मीडिया में काम कर रहे पत्रकारों तथा मीडिया प्रतनिधिधियों के समग्र कल्याण एवं हतिों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने 7 सतिंबर, 2023 को 'पत्रकार समागम' के दौरान वभिन्नि घोषणाएँ की थी ।
- मंत्रपरिषद ने पूर्व में लागू मध्य प्रदेश में अधमिान्य पत्रकारों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान योजना को संशोधति कर नवीन योजना 'अधमिान्यता प्रापुत पत्रकारों को आवास ऋण एवं शकिषा ऋण ब्याज अनुदान योजना 2023' को स्वीकृति कयि ।
  - नई योजना में अधिकितम ऋण राशति सीमा 25 लाख रुपए से बढाकर 30 लाख रुपए की गई है । साथ ही योजना में अधमिान्यता प्रापुत पत्रकारों के बेटे/बेटयिों की शकिषा के लयि बैंक से लयि गए ऋण पर देय ब्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 वर्ष के लयि राज्य शासन द्वारा वहन करने का नरिणय लयिा गया है ।
- मंत्रपरिषद ने यह नरिणय भी लयिा कि 'मध्य प्रदेश संचार प्रतनिधिधियों के लयि स्वास्थय एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना' में पत्रकारों से वर्ष 2022-23 के लयि भारति प्रीमियम दर के अनुसार ही इस वर्ष भी प्रीमियम राशति ली जाएगी ।
  - बीमा कंपनी द्वारा बढाए गए प्रीमियम की राशति का भुगतान राज्य शासन द्वारा कयि जाएगा ।
  - इस योजना में नए प्रावधान के अनुसार 65 वर्ष से अधिक उमर के पत्रकारों और उनकी पत्नी/पति के बीमा का पूरा प्रीमियम राज्य शासन वहन करेगा ।
- मंत्रपरिषद द्वारा वशिष केंद्रीय सहायता (शहरी सुधार कार्यक्रम) से प्रदेश में मास्टर प्लान की सड़कों के लयि नवीन पूंजीगत योजना 'कायाकल्प द्वततीय चरण (मास्टर प्लान की सड़कें) योजना' की तीन वर्षों के लयि स्वीकृति दी गई है ।
  - योजना में वर्ष 2023-24 के लयि 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान कयिा गया है । योजना का क्रयिान्वयन नगरीय नकियाय, वकिास प्राधकिरण, स्मार्ट सटिी एवं एम.पी. यू.डी.सी. के द्वारा कयिा जाएगा ।
- मंत्रपरिषद ने जल जीवन मशिन का क्रयिान्वयन लोक स्वास्थय यांत्रकिी वभिाग द्वारा कयि जाने का अनुमोदन कयि ।
- मंत्रपरिषद द्वारा प्रदेश में आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम क्षेत्र में नविश को और आकर्षक बनाए जाने के उद्देश्य से नविश नीति 2016 के स्थान पर नवीन नीति 'मध्य प्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम नविश संवर्धन 2023' का अनुमोदन कयिा गया ।
  - क्रयिान्वयन के लयि नयिम एवं दशिा-नरिदेश जारी करने तथा नयिमों एवं दशिा-नरिदेशों में सामान्य संशोधन, वसिंगतति दूर करने और प्रावधानों की व्याख्या करने के लयि वजिज्ञान एवं प्रौद्योगकिी वभिाग को अधकिृत कयिा गया है ।
  - नवीन नीति के प्रभावशील होने से राज्य में नविश की संभावनाओं का वसितार होगा एवं इच्छुक कंपनयिों नविश के लयि आकर्षति होंगी ।
- मंत्रपरिषद द्वारा जबलपुर में दो नवीन तहसील पोंडा और कटंगी, जलिा मऊगंज में नवीन तहसील देवतलाब तथा जलिा ग्वालियर में नवीन तहसील पछिर के सृजन की स्वीकृति दी गई है । साथ ही जलिा मुरैना में नवीन अनुवभिाग पोरसा के गठन की स्वीकृति दी गई है ।
- महलिा फुटबॉल के प्रोत्साहन के लयि मंत्रपरिषद द्वारा 'पेट्रॉन सटेट प्रोग्राम' के संचालन के लयि 97 करोड़ 3 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है ।
  - योजना के क्रयिान्वयन के लयि फुटबाल प्रशकिषक एवं प्रबंधन की व्यवस्था राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ से करने तथा अन्य सपोर्ट स्टॉफ आर्दा की व्यवस्था नजिी एजेंसी से आउटसोर्स के आधार पर कयि जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है ।
- मंत्रपरिषद द्वारा शरम वभिाग के अंतर्गत 'मुख्यमंत्री संबल खलिाड़ी प्रोत्साहन योजना' को स्वीकृति दी गई । योजना अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर संबल परिवार के सदस्यों द्वारा खेल प्रतयिोगतिाओं में भाग लेने पर 50 हज़ार रुपए और राज्य स्तर पर खेल प्रतयिोगतिाओं में भाग लेने पर 25 हज़ार रुपए प्रदान कयिा जाएंगे ।
- मंत्रपरिषद द्वारा प्रदेश में टेक्सटाईल पार्क के नरिमाण के लयि भारत सरकार को प्रेषति प्रस्ताव का कार्योत्तर अनुमोदन दयिा गया है । भारत

सरकार द्वारा स्वीकृत ग्राम भैंसोला ज़िला धार में पी. एम. मत्तिर पार्क की स्थापना का अनुमोदन दिया गया है।

- पार्क की स्थापना के लिये भारत सरकार एवं राज्य शासन के मध्य 21 मई, 2023 को नष्पादति एम.ओ.यू. का कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया है।
- पी.एम. मत्तिर पार्क भैंसोला तहसील बदनावर ज़िला धार की स्वीकृति में नहिती शर्तों के अनुरूप एस.पी.वी. के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें भारत सरकार का अंश 49 प्रतिशत एवं राज्य शासन का अंश 51 प्रतिशत रहेगा। एस.पी.वी. में राज्य शासन के अंश की राशि वभागीय बजट से उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- प्रस्तावित पार्क तक सड़क, बजिली एवं पानी की सुविधा प्रदान करना तथा एस. पी. वी. के माध्यम से मास्टर डेवलपर को समतलीकृत, अतिक्रमण मुक्त भूमि उपलब्ध कराने की स्वीकृति एवं उक्त सुविधा निर्माण में होने वाले अनुमानित व्यय 163 करोड़ रुपए का वहन राज्य शासन द्वारा वभागीय बजट के तहत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पीएम मत्तिर पार्क के लिये वदियुत वतिरण लाईसेंस की स्वीकृति प्रदान की गई है। एस.पी.वी. को पी. एम. मत्तिर पार्क भैंसोला तहसील बदनावर ज़िला धार में वदियुत प्रदाय हेतु एमपीपीएमसीएल से एवरेज पॉवर परचेज कॉन्स्ट (एपीपीसी) पर बजिली खरीदने की अनुमति प्रदान की गई है। पार्क में स्थापति होने वाली इकाईयों को प्रचलति औद्योगिक संवर्धन नीति अनुसार सुविधाएँ एवं सहायता दिये जाने का अनुमोदन कयिा गया है।
- मंत्रपरिषद् द्वारा मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के राजपत्रति अधिकारियों के लिये अधसिमय वेतनमान की स्वीकृति दी गई है।
- मंत्रपरिषद् द्वारा नरिणय लयिा गया कि.म.प्र. के ग्राम कोटवारों के पारशिरमकि में 25% वृद्धि की गई।
- मंत्रपरिषद् द्वारा राष्ट्रीय शक्ति नीति 2020 के प्रभावी क्रयान्वयन तथा महावदियालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण के परपिरेक्ष्य में मुख्यमंत्रि द्वारा की गई घोषणाओं के अनुपालन में वभाग में कार्यरत अतथि वदिवानों के संबंध में प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है।

